कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़
(बाल विकास) आजमगढ़

पत्रांक /जि0का0का0/विज्ञप्ति/2021–22 दिनांक 02 जुलाई, 2021

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–11/2021/388/58–1–2020–2/1(22)10 टी0सी0 दिनांक 29–01–2021 के द्वारा समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	रिक्त आं0बा0 कार्यकर्त्री की संख्या	रिक्त मिनी आं0बा0 कार्यकर्त्री की संख्या	रिक्त आं0बा0 सहायिका की संख्या
01	अतरौलिया	09	00	10
02	हरैया	15	02	09
03	पल्हनी	16	07	23
04	रानी की सराय	17	02	15
05	पल्हना	12	00	34
06	बिलरियागंज	17	00	15
07	तरवां	35	03	65
08	तहबरपुर	15	02	18
09	पवई	22	07	21
10	अजमतगढ़	15	03	18
11	शहर	21	00	20
12	महराजगंज	07	01	16
13	मुहम्मदपुर	05	02	08
14	ठेकमा	28	03	43
15	जहानागंज	15	00	15
16	फूलपुर	12	08	25
17	कोयलसा	11	02	19
18	मेंहनगर	37	03	53
19	मिर्जापुर	18	02	12
20	लालगंज	21	03	15
21	अहिरौला	10	01	12
22	सठियांव	21	04	25
23	मार्टिनगंज	08	05	21
कुल योग		387	60	512

चयन हेतु निर्धारित मानदंड :–

1– उक्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी द्वारा ही आवेदन किये जायेगे।

2– आवेदन केवल आनलाईन स्वीकार किये जायेगे। आवेदन वेबसाईट **http//balvikasup.gov.in** पर किये जा सकेगे।

3– आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल तथा सहायिका हेतु कक्षा–5 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

4– आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2021 से मानी जायेगी। आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष होगी।

5– आवेदिका को उसी ग्रामपंचायत/वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है जहां का पद विज्ञापित है।

6– सर्वप्रथम सहायिका का चयन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद पर किया जायेगा यदि उन्होने 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, हाईस्कूल उत्तीर्ण हो तथा आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।

7– इसके बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला, अनुलब्धता की दशा में तलाकशुदा /परित्यकता महिला को चयन में वरीयता दी जायेगी। गरीबी रेखा का मानक ग्रामीण क्षेत्रो में रू0 46080 प्रति परिवार वार्षिक आय तथा शहरी क्षेत्रो में रू0 56460 प्रति परिवार वार्षिक आय होगी। आय प्रमाण पत्र उप

जिलाधिकारी, तहसीलदार स्तर से निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र मान्य होगा। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

8– निवास एवं जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा।

9– उपरोक्त के अनुलब्धता की दशा में ही गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चयन पर विचार किया जायेगा।

10– आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 23–07–2021 होगी।

11– चयन पूर्णतया मेरिट के आधार पर किया जायेगा। हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक स्तर तक ही अंक जोड़े जायेगे।

12– विज्ञापित पदो का ग्रामपंचायतवार/वार्डवार/आरक्षण सहित पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाईट http//balvikasup.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। अन्य किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी, सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। जनपद कार्यालय पर आरक्षण की सूची चस्पा की जायेगी।

13– जिस आरक्षण श्रेणी हेतु जो पद आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन स्वीकार किये जायेगे।

14– आंगनवाड़ी सहायिका यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु आवेदन करती है तो अपने आवेदन के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित लगातार पांच वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे पुष्टि हो सके कि सहायिका के पद पर विभाग को लगातार सेवा प्रदान कर रही हैं।

15– जिस ग्रामपंचायत/वार्ड में पद रिक्त होगा सिर्फ उन्ही ग्रामपंचायतों में पदो का विवरण वेबसाईट पर प्रदर्शित होगा, जिन ग्रामपंचायतो में कोई पद रिक्त न होगा, उन ग्रामपंचायतो का पद प्रदर्शित नही होगा।

16– चयन की प्रकिया शासनादेश में वर्णित प्राविधानो के अनुसार किया जायेगा। किसी भी चयन को निरस्त किये जाने का अधिकार गठित चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा।"

(मनोज कुमार मौर्य)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़

पृष्ठांकन संख्या C-1659 /तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय आजमगढ़।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि जनपद आजमगढ़ की वेबसाईट पर विज्ञप्ति का विवरण एवं आवेदन पत्र प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार हेतु ग्राम प्रधान को अवगत करायें, जिससे अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सके।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" एवं "अमर उजाला" आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि आजमगढ़ पृष्ठ पर विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुये बिल की दो प्रति प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7. कार्यालय प्रति। 0

02.07.2021
जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़